



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 52-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020 (PAUSA 8, 1942 SAKA)

PART - I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा) हिसार वृत्त

अधिसूचना

दिनांक 11 दिसम्बर, 2020

संख्या 2417 .- चूंकी, हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः गांव ढाणी जाटान में सिरसा ऐलनाबाद रोड के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है। उपरोक्त भूमि अधिग्रहण करने के लिए माननीय न्यायालय जिला अतिरिक्त जज, सिरसा के फैसला दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को आदेश हुए है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित हैं।

पुर्वाक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व कामकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते है।

कोई भी व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आपेक्ष हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर-अन्दर अपने आक्षेप लिखित रूप में भूमि अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा, हिसार) या कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं० 2, (लोक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग शाखा, सिरसा के समक्ष दायर कर सकता है। भूमि के नक्शों का निरीक्षण कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं० 2, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग शाखा, सिरसा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।

विशिष्ट

जिला	तहसील	गाँव का नाम व हदबस्त नं०	क्षेत्रफल एकड़ में	मुस्तली नं० व किला नं०	क्षेत्रफल करनाल-मरला
सिरसा	ऐलनाबाद	ढाणी जाटान नं० 117	0.1187	3 / 18 / 1 / 2 मिन दक्षिण	0-19

(हस्ता०)...

अधीक्षक अभियन्ता,

हिसार वृत्त, लो०नि०वि०,

भवन एवं सड़क शाखा, हिसार।

HARYANA GOVERNMENT**PUBLIC WORKS DEPARTMENT (BUILDING AND ROADS BRANCH) HISAR CIRCLE****Notification**

The 11th December, 2020

No. 2417.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be taken by the Government at public expense, for public purpose, namely Sirsa-Ellenabad road, in Court case Sh. Hari Ram & others v/s State of Haryana ordered by Addl. Session Judge, Sirsa on dated 30 April, 2015.

It is hereby notified that the land in locality, described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of Section 11 (1) of land Acquisition Act. 2013 for information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorize the officer, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen, to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 60 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Haryana PWD B&R Br., Hisar or Executive Engineer, Provincial Division No. II, PWD B&R Br., Sirsa. Plan of the land may be inspected in office of Executive Engineer, Provincial Division No. II, PWD B&R Br., Sirsa.

Specification

Distt.	Tehsil	Locality/Village & H.B. No.	Area in Acre	Rectangel No./ Killa No.	Area in Kanal- Marla
Sirsa	Ellenabad	Dhani Jattan/No. 117	0.1187	3//18/1/2 Min south	0 – 19

(Sd.)...,
Superintending Engineer,
Hisar Circle, PWD (B&R)Branch,
Hisar.